बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

समर्पित

''उन मासूम कलियों को
जो जाने अनजाने में
चमन में खिलने से पहले
ही मसल दी जाती हैं''
बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

महिलाओं का अस्तित्व, अधिकार व विकासः–

संवैधानिक उपायः– भारत में संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से प्रारम्भ है जिसका अर्थ है–स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया। संविधान का लक्ष्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा बन्धुता को बढावा देनक के लिए राष्ट्र की एकता आश्वस्त करती है। भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोडा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गयी है तथा इस सम्बन्ध में संविधान में विभिन्न अधिनियमों को स्थान दिया गया है।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के सन्दर्भ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है।

अनुच्छेद– 15 -राज्य किसी नागरिक के विरूद्व किसी आधार पर भेदभाव नही करेगा।

कोई नागरिक केवल धर्म,वंश,जाति,लिंग, के आधार पर किसी भी निर्योग्यता दायित्व या शर्त के अधीन नही होगा।

अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता।

अनुच्छेद– 16 राज्य के अधीन किसी पद के सम्बन्ध में धर्म,वंश,जाति लिंग, के आधार पर कोई नागरिक अयोग्य नही होगा।

अनुच्छेद– 21 यह प्राण दैहिक स्वतन्त्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है यह अधिकार स्त्री पुरूष को समान संरक्षण देता है।

अनुच्छेद– 39 पुरूष और स्त्री, नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्र्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

अनुच्छेद 39 क महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है।

अनुच्छेद –42 द्वारा महिलाओं के लिए प्रसूतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधाकी व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद– 43 पुरूष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान समान वेतन होगा।

यह मजदूरों के लिए वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद– 44 राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद– 47 जीवन स्तर को उॅचा करने के लिए तथा पोषाहार स्तर को उॅचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद– 51 प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रीयों के सम्मान के विरूद्व है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिशिचित किये गये।

अनुच्छेद– 325, 326 निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूष को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।

73वॉ एवं 74वॉ संविधान संशोधन 1993 इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

अपराध–<u>भारतीय दण्ड संहिता की धारा/सजाः–</u>

सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य एव अश्लील गीत गाना– धारा 294 3 माह कैद या जुर्माना दोनों।

दहेज मृत्यु– धारा 304 ख आजीवन कारावास

आत्महत्या के लिये दबाव बनाना– धारा 306 10 वर्ष कारावास

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार दिया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी का जीवन नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नही है,गर्भ में पल रहे शिशु को एक मानव जीवन माना जाता है उस नन्हे से जीव को भी जीने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत भ्रूण की हत्या करने वाले को दोषी माना जाता है जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता में सजा का उपबन्ध है।

धारा 313ः– स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में कहा गया है िकइस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 314:– धारा 314 के अर्न्तगत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यों द्वारा कारित मृत्यु में दस वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है,और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया है तो कारावास आजीवन का होगा।

धारा 315– धारा 315 के अर्न्तगत बताया गया है कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के प्श्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य से कोई अपराध किया जाता है तो वह 10 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से की गयी अश्लील हरकत– धारा 354 2 वर्ष कारावास।

अपहरण,भगाना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना धारा–366– 10 वर्ष कारावास।

बलात्कार– धारा 376 कठोर कारावास जो 7 वर्ष से कम नही होगा तथा लोकसेवक द्वारा अपराध किये जाने की स्थिति में कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नही होगा तथा पुन्नरावृत्ति अपराधी के सम्बन्ध में आजीवन कारावास या मुत्यु दण्ड होगा।

पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना– धारा 498 – 7 वर्ष कारावास

पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता– धारा – 498–क, 3वर्ष कारावास

बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना– धारा 499– 2 वर्ष कारावास

महिला के साथ अश्लील हरकत करना या अपशब्द कहना – धारा 509 एक वर्ष कारावास

गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन रोकथाम) अधिनियम 1994:–

PCPNDT ACT 1994

शिशु के जीवन को बचाने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक(विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 एक जनवरी 1996 से अस्तित्व में आया जो वर्ष 2002 में संशोधित हो गया और इसका नया नाम गर्भाधान पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन रोकथाम) अधिनियम हो गया,यह संशोधित अधिनियम 14–2–2004 से प्रभावी हो गया,इस अधिनियम के तहत गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग (लडका/लडकी) के पहचान के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीनों का दुरूपयोग रोका जा सकता है,यदि कोई अस्पताल यौन पहचान करने का कार्य करे तो उस अस्पताल/डायनोस्टिक सैन्टर को अनुज्ञाप्ति (LICENCE) रदद् की जा सकती है, इस अधिनियम के प्रावधान निम्न हैः गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जॉच करना या करवाना, शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना।

- गर्भ में पल रह बच्चे के लिंग की जॉच कराने का विज्ञापन देना– गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।
- कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाये बिना प्रसव पूर्व निदान–तकनीक(पी0एन0डी0टी0) अर्थात अल्ट्रासाउन्ड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नही कर सकता।
- जॉच केन्द्र के मुख्य स्थान पर यह लिखना अनिवार्य है कि यहॉ पर भ्रूण के लिए (सैक्स) की जॉच नही की जाती यह कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जॉच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नही करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति लिंग जॉचने के लिए मशीनों का प्रयोग नही करेगा।
- गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जॉचने के लिए प्रेरित करना आदि भ्रूण हत्या को बढावा देने वाली अनेक बातें इस एक्ट में शामिल की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकडे जाने पर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपये तक का जुर्माना हो सककता है। दूसरी बार पकडे जाने पर पॉच वर्ष की कैद व एक लाख रूपये जुर्माना हो सकता है।

- लिंग जॉच करने वाले क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है–

शिशु के विकास को संविधान एवं अन्य अधिनियमों में कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है शिशु या भ्रूण को जीवन जीने का अधिकार है तथा व्यक्गित रूप से विकास का अधिकार है सरकार की योजनाओं में गर्भ में पल रहे शिशु के पोषाहार के लिए आवश्यक पोषण सामग्री उपलब्ध कराना निहित है। शिशु गर्भ में एक पूर्ण जीवन जीता है उसकी सॉसें एव मष्तिषक कार्य करते है वह निरन्तर प्रगति करता है।

गर्भपात का कानून– (गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971)

गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती हैः–

1–जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो।

2– महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।

3– गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।

4–बच्चा गम्भीर रूपसे विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।

5–महिला या पुरूष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

यदि इनमें से कोई स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डाक्टर की सलाह से 12 हप्तों तक गर्भपात करवा सकती है। 12 हप्ते से ज्यादा तक 20 हप्ते (पॉच महीने) से कम गर्भ को गिरवाने के लिए दो डाक्टरों की सलाह लेना जरूरी है। 20 हप्ते के बाद गर्भपात नही करवाया जा सकता है। गर्भवती स्त्री से जबरदस्ती गर्भपात करवाना अपराध है, गर्भपात केव सरकारी अस्पताल या निजि चिकित्सा केन्द्र जहॉ पर फोर्म बी लगा हो में सिर्फ रजिस्ट्रीकृत डाक्टर द्वारा कराया जा सकता है।

वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रगति निम्न प्रकार होती है (शिशु का विकास)

प्रथम सप्ताह– सैल्स(कोशिकाओं) को बटवारा होता रहता है।एक नयी जिन्दगी मॉ की कोखमें अपना स्थान बना लेती है व एक नया शिशु विकसित होने लगता है–

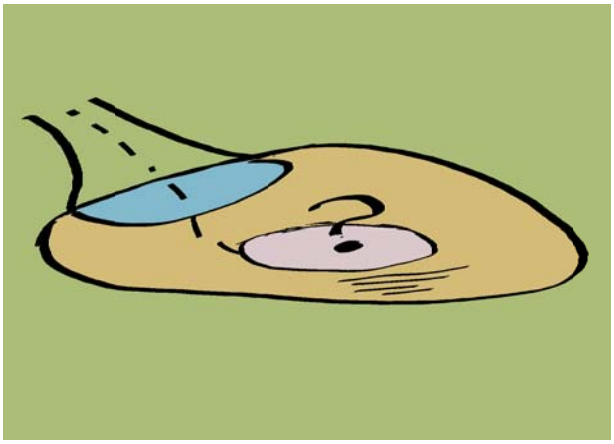

दूसरा सप्ताह–माता द्वारा किये गये भोजन से नया जीव पोषण पाने लगता है।

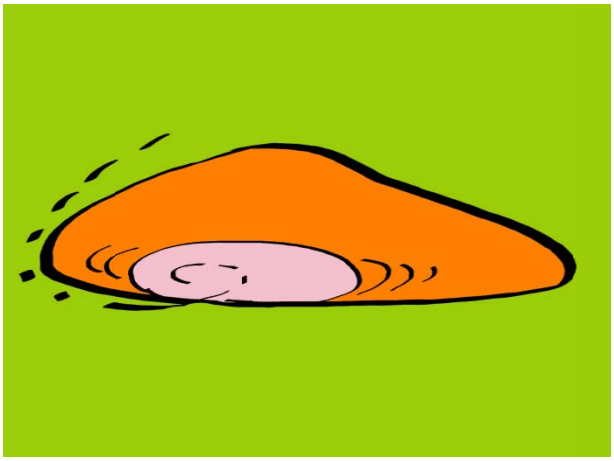

तीसरा सप्ताह– इस अति सूक्ष्म जीव को ऑखें,रीढ,मस्तिष्क,फेफडे,पेट, जिगर आदि निर्माण प्रकिया प्रारम्भ हो जाती है अठारहवें (18^{TH}) दिन दिल की धडकन प्रारम्भ हो जाती है।

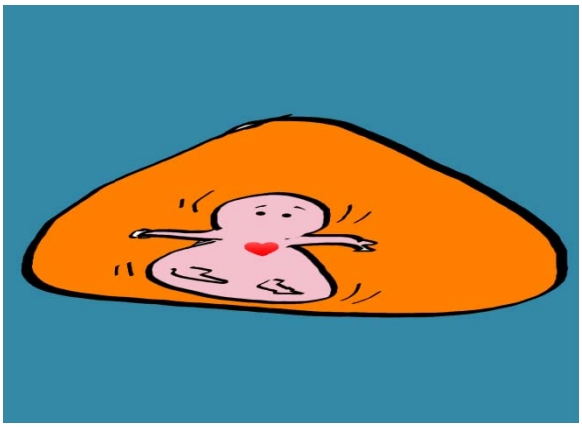

चौथा सप्ताह– सिर बनने लगता है रीढ की पूरी बनावट सुषुम्मा वाकर पूरी हो जाती है,हाथ पॉव बनने लगते है।

पॉचवा सप्ताह– छाती और पेट तैयार होकर एक दूसरे से पृथक हो जाते है, सिर,ऑख,कान बाल बन जाते है, हाथों व पैरों की कलिकाऐं बनने लगती है।

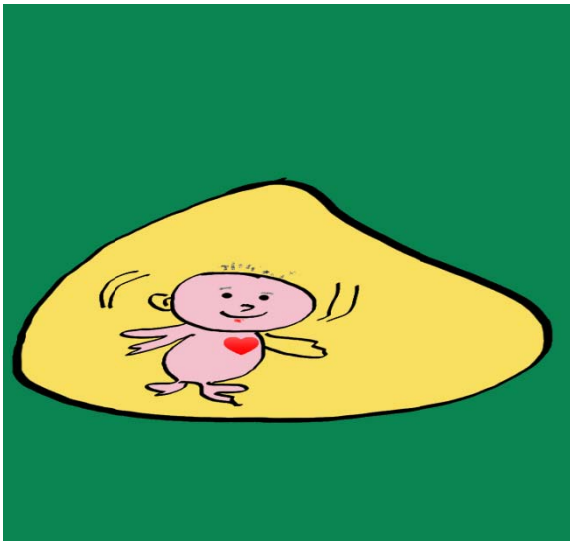

छठा व सातवां सप्ताह– बच्चे के शरीर

अंग सिर,चेहरा,मुॅह,जीन आदि बनकरतैयार हो जाते है है,मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो जाता है मस्तिष्क लहरों अथवा तरंगों को मापा जा सकता है,बच्चे के लिंग का पता लग सकता है, वह अपने हाथ पॉव हिला सकता है, गुदगुदाने से बच्चे में प्रतिक्रिया होती है। मस्तिष्क विकसित हो जाता है मस्तिष्क लहरों अथवा तरंगों को मापा जा सकता है,बच्चे के लिंग का पता लग सकता है, वह अपने हाथ पॉव हिला सकता है, गुदगुदाने से बच्चे में प्रतिक्रिया होती है।

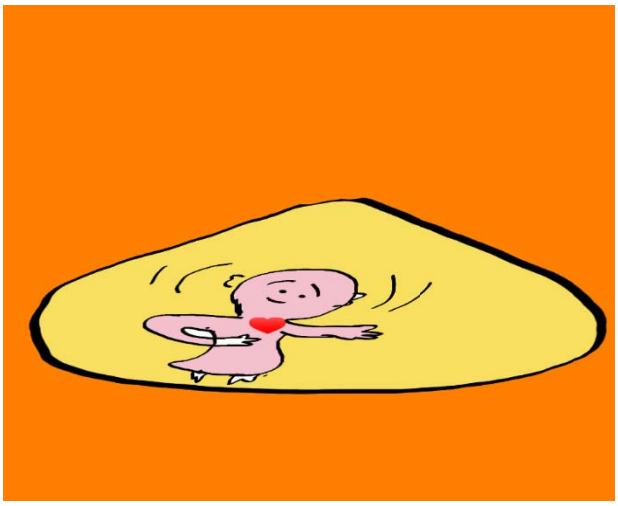

आठवां सप्ताह– बच्चा स्पर्श व दर्द अनुभव करने लगता है,मुटठी बन्द कर सकता है,कुछ पकड सकता है,अंगूठा चूस सकता है,उसके अंगूठे की छाप तैयार होने लगती है, उसके अंगूठे की छाप वैसी ही होती है जैसी की उसकी 80 वर्ष की उम्र में होगी।

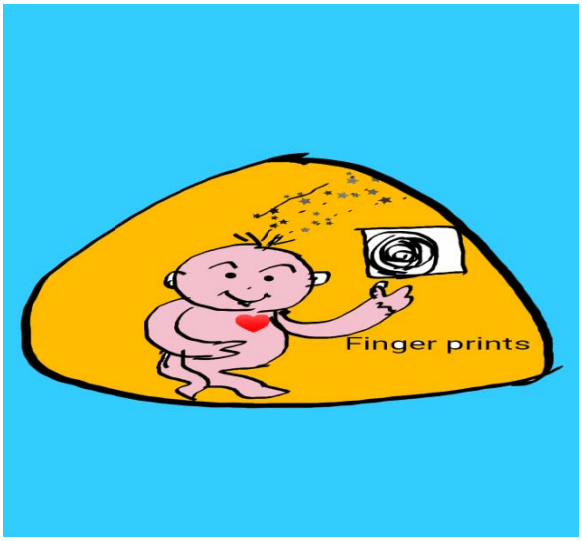

ग्यारहवां–बारहवां सप्ताह– शरीर सभी अवयव प्रणाली(ORGAN SYSTEM) बन चुके होते है व कार्य करने लगते है, नसों व मांशपेशियों में सामंजस्य स्थापित होता है, उॅगलियों में नाखून आने लगते है अब उसे केवल बढने की आवश्यकता होती है।

सोलहवां सप्ताह– मॉ बच्चे के हिलने डुलने को महसूस करने लगती है,बच्चे की लम्बाई अब साढे छः इंच होती है,मॉ के पेट पर स्टेयोस्कोप रखकर गर्भस्थ शिशु के हृदय की धडकन सुनायी देता है, गर्भस्थ शिशु संगीत की पहचान करने में सक्षम होता है। महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रब्यूह भेदने की शिक्षा प्राप्त करने की घटना को वेज्ञानिकों ने सत्य माना है।

अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकारः अधिनियम 2009–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया,संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राणों के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है।

संविधान के 86 वै संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में मान्यता प्रदान करते हुए सम्मिलित कर लिया तथा वर्ष 2009 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया जो 01 अप्रैल 2009 से लागू किया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को चाहे व बालक हो या बालिका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इस कानून द्वारा प्राप्त होगा।

यदि कोई विद्यालय/स्कूल इन बच्चों को स्कूल में दाखिल करने से इन्कार करता है,या बच्चों के माता पिता से कोई शुल्क व्यय प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति या विद्यालय/स्कूल को जुर्माने से दण्डित किया जायेगा,यह जुर्माना वसुली गयी फीस का या शुल्क का 10 गुना तक हो सकता है।

माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी (कर्तव्य):– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(क) में माता पिता के उपर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें।

इसके अलावा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में माता पिता के निम्न कर्तव्य हैः–

1– इस कानून के क्रियान्वयन में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लोगों में से ही स्कूल प्रबंधन समिति का गडन किया जाएगा।

2– यह समिति की वार्षिक योजना बनाएगी और स्कूल की नियमित गतिविधियों जैसे स्कूल का समय पर खुलना बंद होना,स्कूल में पढाई होना,बच्चों को अपने शिक्षा स्तर के अनुसार सीखना,पालकों के साथ हर महीने बैठक होना,मध्यान्ह भोजन आदि बातों की देख–रेख करेगी।

3– प्रत्येक माता–पिता और अभिभवक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को प्रारम्भिक श्शिक्षा के लिए आसपास के स्कूल में प्रवेश दिलाऐं,नियमित स्कूल भेजें और उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराऐं। बच्चों के माता–पिता और अभिभावक यदि बच्चे को स्कूल न भेजें तो उन पर कोई दण्ड या जुर्माना नही लगाया जायेगा। फिर भी माता–पिता और अभिभावक का यह

कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराऐं,उसको नियमित स्कूल भेजें और प्राथमिक शिक्षा पूरी कराऐं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

1– 14 वर्ष से कम आयु के बालक (लडका/लडकी) को नियोजन में लगाने व काम की शर्तों का विनियमन करने के सम्पूर्ण भारत में यह नियम लागू है।

2– अधिनियम की धारा 3 में उपजीविकायें एवं प्रक्रियाऐं दी गयी है जहॉ बालकों से काम करवाना मना है।

3– बीडी बनाना,सीमैन्ट निर्माण,मार्चिस,बिस्फोट,भवन निर्माण, रेल में चढने उतरने के काम आदि में बच्चों काम करवाना गलत है।

4– अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सांय 7 बजे से सुबह 8 बजे तक तथा कार्य के निर्धारित समय के अतिरिक्त काम करने की कोई अनुमति नही दी जायेगी।

5–बाल श्रमिक को धारा 8 के अनुसार सप्ताह में पूरे एक दिन का अवकाश मिलेगा।

6– धारा 14 में अपराध एवं दण्ड से सम्बन्धित उपबन्ध है,यदि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी बालक को नियोजित (काम में लगाया) किया जाता है तो तीन माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है या 10,000–रू0 से 20,000–रू0 तक का जुर्माना किया जा सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

7– धारा 16(1) के अनुसार कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक 14 साल से कम के बच्चों से काम लेने वालों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) कर सकते है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

1– बच्चों के स्वास्थय को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया तथा समय समय पर संशोधन (बदलाव) किया गया।

2– इस अधिनियम के अनुसार विवाह हेतु बालक की उम्र यदि पुरूष है तो 21 वर्ष तथा नारी है तो 18 वर्ष से कम नही है।

3– बाल विवाह वह है जो 18 वर्ष नारी व 21 वर्ष पुरूष से कम आयु के कोई पक्षकार का विवाह हो।

बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है– यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में है कि बाल विवाह करवाया जा रहा है तो वह इस बाल विवाह की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे सकता है ताकि वह इस प्रकार हो रहे नाबालिग बच्चों के विवाह को रोक सके,यदि आदेश के बाद भी बाल विवह को नही रोका जाता है तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन माह का कारावास एवं 1000–रू0 के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

न्यायिक कार्यवाहीः– बाल विवाह को रोकने के लिए जिला न्यायालय में धारा 8 के अर्न्तगत याचिका दायर की जा सकती है तथा पुलिस को रिपोर्ट की जा सकती है विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस बाल विवाह को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करवाया जा सकता है।

बाल विवाह के बंधन में बालक/बालिका वयस्क होने के दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते है।

बाल विवाह प्रतिषेध–2006 बाल विवाह के लिए दोषी कौन–

धारा 9 के अनुसार 18 साल से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से जो एक लाख तक हो सकता अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 10/11 के अनुसार बाल विवाह संपन्न कराने वाले माता–पिता एवं पंडित को भी इस अधिनियम द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या पर कानून

प्रसवधि निदान तकनीक (विनिमय का दुरूपयोग व निवारण) अधिनियम 1944,

भ्रूण का लिंग जॉचः–

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किये है। जो निम्नानुसार हैं:–

गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जॉच करना या करवाना, शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना।

गर्भ में पल रह बच्चे के लिंग की जॉच कराने का विज्ञापन देना– गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।

कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाये बिना प्रसव पूर्व निदान–तकनीक(पी0एन0डी0टी0) अर्थात अल्ट्रासाउन्ड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नही कर सकता।

जॉच केन्द्र के मुख्य स्थान पर यह लिखना अनिवार्य है कि यहॉ पर भ्रूण के लिए (सैन्स) की जॉच नही की जाती यह कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जॉच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नही करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति लिंग जॉचने के लिए मशीनों का प्रयोग नही करेगा।

गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जॉचने के लिए प्रेरित करना आदि भ्रूण हत्या को बढावा देने वाली अनेक बातें इस एक्ट में शामिल की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकडे जाने पर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपये तक का जुर्माना हो सककता है। दूसरी बार पकडे जाने पर पॉच वर्ष की कैद व एक लाख रूपये जुर्माना हो सकता है।

लिंग जॉच करने वाले क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है–

कन्या भ्रूण हत्या पर कानूनः–

गर्भपात का कानून– (गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971)

(गभवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती हैः–

1– जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो।

2– महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।

3– गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।

4–बच्चा गम्भीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।

5– महिला या पुरूष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

यदि इनमें से कोई स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डाक्टर की सलाह से 12 हप्तों तक गर्भपात करवा सकती है। 12 हप्ते से ज्यादा तक 20 हप्ते (पॉच महीने) से कम गर्भ को गिरवाने के लिए दो डाक्टरों की सलाह लेना जरूरी है। 20 हप्ते के बाद गर्भपात नही करवाया जा सकता है। गर्भवती स्त्री से जबरदस्ती गर्भपात करवाना अपराध है, गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल या निजि चिकित्सा केन्द्र जहॉ पर फोर्म बी लगा हो में सिर्फ रजिस्ट्रीकृत डाक्टर द्वारा कराया जा सकता है।

उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

1– इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना,2013 है।

2– यह दिनांक 31 दिसम्बर,2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2–परिभाषाऐंः–

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) अधिनियम से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या–2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है।

(ख) अनुसूची से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(ग) राज्य से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

(घ) पीडित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध ऐसिड अटैक,मानव तस्करी गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो,इसमें पीडित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

3–अपराध से पीडित सहायता कोषः–

1– राज्य सरकार अपराध से पीडित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीडित व्यक्ति के आश्रितों को जिनकी ऐसिड अटैक,मानव तस्करी,गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो,को अनुसूची 1 में दी गयी धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

2– राज्य सरकार इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष प्रृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी,जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले का प्रेस कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

3– सहायता कोष विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों दान,उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

4– सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी,जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव,गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महा निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउण्ट चैक के माध्यम से किया जायेगा।

4– सहायता के लिए आर्हताः– सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीडित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे, यदि–

(क) अपराधी नही पकडा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नही हुई हो किन्तु पीडित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नही हुआ हो,ऐसा पीडित भी संहिता की धारा–357 क की उपधारा(4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) पीडित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है, परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी।

(ग) पीडित/दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करें।

5– सहायता प्रदान करने की प्रक्रियाः–

1– सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिया जाता है।

2– सहायता पृथक–पृथक मामलों में तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकती है।

3– यदि राज्य सरकार से कोई धनराशि प्राप्त कर ली हो तो इस योजना का लाभ अनुमन्य नही होगा।

6–समयावधिः– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357–क की उपधारा (4) के अधीन पीडित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षरा अपराध के छः माह की अवधि के प्श्चात ग्रहण नही किया जायेगा।

परन्तु यह कि राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,यदि संतुष्ट है तो दावे को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलिखित करते हुए विलम्ब को दर्षित कर सकेगा।

7–अपीलः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता की अस्वीकृति से व्यथित कोई पीडित 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि संतुष्ट हैतो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए दर्षित कर सकेगा।

अनुसूचीः–1

क्र0संख्या	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	2	3
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीडा से क्षति	रू0 1,00,000/
3	मृत्यु	रू0 2,00,000/
4	गम्भीर चोट के लिए मारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू0 20,000/
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा/सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू0 1,50,000/

	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुए हों	रू0 30,000 /
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 50,000 /
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 10,000 /
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो	रू0 1,00,000 /
9	अप्राप्तवय बलात्कार	रू0 2,50,000 /
10	पुर्नवास	
	(क) बलात्कार पीडिता के संदर्भ में	रू0 1,00,000 /
	(ख) अन्य प्रकरणों के संदर्भ में	रू0 20,000 /
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू0 10,000 /

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015

उद्देश्य–

18 वर्ष से कम आयु के बालकों के सर्वोंत्तम हित के लिए देख–रेख एवं संरक्षण संरक्षा,विकास, उपचार,पुर्नवास हेतु उक्त अधिनियम को 15 जनवरी 2016 से लागू किया गया।

इस अधिनियम के अर्न्तगत कुल 10 अध्यायों में बाटा गया है।

प्रथम अध्याय में संक्षिप्त नाम,विस्तार प्रारंम्भ एवं लागू होना बताया गया है।

इस अधिनियम में आने वाले वर्णों की परिभाषाऐं बतायी गयी है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नही की है।

धारा 2(13) में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक से बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नही की है।

धारा 2(14) में देख–रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक बताया गया है–

1–जिसका कोई घर, निवास स्थान या संरक्षण स्थान या संरक्षण हेतु अभिभावक न हो।

2– 2 (42) अनाथ ऐसे बालक जिनके माता पिता एवं संरक्षण न हो।

इस अधिनियम में उक्त तीनों प्रकार के बालकों के सर्वोंत्तम हित के लिए उपबन्ध किये गये हैं।

उक्त बालकों के लिए न्यायिक कार्य हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया॰या है तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था हेतु किशोर कल्याण समीति का गठन किया गया है।

पुलिस से सम्बन्धित व्यवहार हेतु बालक कल्याण पुलिस अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। तथा धारा 107 में विशेष किशोर पुलिस एकक की व्यवस्था की गयी है। बालकों की सुरक्षा हेतु धारा 106 में जिला संरक्षण एकक की व्यवस्था की गयी है, उक्त अधिनियम द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है।

अध्याय 3 में किशोर न्याय बोर्ड के सम्बन्ध में उपबन्ध दिये गये है जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याया बोर्ड का गठन वर्णित है जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करने हेतु स्थापित होगी।

जो उचित प्रक्रिया का अनुसरणकर विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बन्ध में अपराध को जॉच करने यदि मामले गम्भीर व जघन्य अपराधों से सम्बन्धि तमामले को बाल न्यायाल को हस्तान्तरित करेगी।

अध्याय–4 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में गिरफतारी एवं जमानत की प्रक्रिया को बताया गया है। इस अधिनियम के अर्न्तगत विधि विवादित बालक को माता पिता के संरक्षण में रखा जा सकता है। तथा धारा 23 में उपबन्ध किया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का व्यस्क व्यक्ति के साथ संयुक्त कार्यवाही नही की जायेगी।

अघ्याय–5 बाल कल्याण समीति के गठन एवं शक्तियों के बारे में उपबन्ध करता है।

अध्याय–6 देख–रेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालको के सम्बन्ध में प्रक्रिया बताता है। इस अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समीति जरूरतमंद बालकों के लिए आदेश पारित करने की शक्ती रखता है।

अध्याय– 7 इस अधिनियम के अर्न्तगत बालकों के सर्वोत्त हित हेतु धारा 41 के अर्न्तगत बालक देख–रेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण कराने का उपबन्ध करता है तथा धारा 42 के अर्न्तगत रजीस्ट्रीकरण न कराये जाने के लिए सम्बन्धित संस्था के भारसाधक व्यक्ति पर एक वर्ष तक का कारावास या 100000–00(एक लाख रूपये)रूपये से जुर्माने या दोनों से दण्डित करने का उपबन्ध करता है। बालकों के पुर्नवास हेतु इस भाग में प्रावधान किये गये है धारा 43 खुला आश्रय धारा 47 संप्रेक्षण गृह, धारा 48 विशेष गृह धारा 49 सुरक्षित स्थान धारा 50 बालगृह का उपबन्ध करती है, धारा 53 के तहत इस अधिनियम के अधीन रजीस्ट्रकृत संस्थाओं में पुर्नवास और पुनः मिलने की सेवाऐं और उनका प्रबन्ध करने का उपबन्ध है।

अध्याय–8 दत्तक ग्रहण का उपबन्ध करती है इस अध्याय के अनुसार भारत में रहने वाले तथा भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा दत्तक ग्रहण करने के लिये भिन्न–भिन्न प्रावधान है।

अध्याय–9 बालकों के प्रति क्रूरूता,बच्चों से भीख मंगवाना, किशोर बालक कर्मचारी का शोषण आदि अपराधों के लिए शास्ति दी गयी है।

अध्याय–10 बालक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण उपबन्ध करता है घारा 94 बालक के सम्बन्ध में किसी जॉच, अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के लिए आयु के सम्बन्ध में उपधारणा को बताता है जिसके लिए विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को वैध मानता है, ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पांचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र को वैध माना जाता है।

कामकाजी महिलाओं को मिला नया कानून

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून बन गया है घर में काम करने वाली महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है इस कानून के तहत इस तरह की शिकायतों को संस्थान की समिति द्वारा नब्बे(90) दिन में निबटाया जायेगा और ऐसा नहीं होने पर जुर्माना लगाया जायेगा। इस नये कानून के दायरे में घरेलू नौकरानी और खेत में काम करने वाले श्रमिकों को भी लाया गया है कार्यस्थल के अन्तर्गत सरकारी विभाग संगठन आदि, प्राईवेट सैक्टर संगठन, अस्पताल, खेल कूद संस्थान, कोई निवास स्थान या गृह सम्मिलित है। कानून के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर 50000/–(पचास हजार रूपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें द्वेषपूर्ण आरोपों से सुरक्षा के लिये प्राविधान है।

1– ऐसे संस्थान शामिल हैं जहॉ 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं और जो सर्विसेज रूल्स के तहत नहीं आते हैं।

2– पहली बार घरों में काम करने वाली महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है।

3– अधिनियम के मुताबिक सभी संस्थानों को आन्तरिक शिकायत कमेटी का गठन करना होगा जिसमें कुल सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य महिलाऐं होगी, ।

4– बार–बार उल्लंघन पर ज्यादा जुर्माना रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे।

5– इसके तहत लैगिक उत्पीडन से तात्पर्य किसी भी तरह का अश्लील व्यवहार छेड़खानी, अश्लील साहित्य दिखाना, लैगिक आभासी टिप्पणी करना, शारीरिक छेड़छाड़, सम्बन्ध बनाने के लिये मजबूर करना या शारीरिक सम्बन्ध की मांग करना शामिल है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

इस अधिनियम के तहत दहेज लेना,दहेज देना, एव ंदहेज लेने व देने में सहायता करना अपराध है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दहेज के लिए विज्ञापन देना या इश्तेहार देना जिसके लिए कम से कम 6 माह की कैद और 15,000/रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दहेज की मॉग को लेकर विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु अप्राकृतिक अवस्था में होती है तो धारा 304 ख भा0द0स0 के अन्तर्गत दहेज हत्या का अपराध भी पति एवं पति के नातेदारों के विरूद्व बन सकता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा का अधिनियम 2012

इस अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों (लडका या लडकी दोनों) को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गयी है।

लैंगिक अपराध की सीमा में छेड–छाड आदि भी शामिल है।

पुलिस द्वारा कार्यवाही सिविल कपडे में की जायेगी।

यथासम्भव महिला पुलिस कर्मी द्वारा मामले की विवेचना होगी तथा यथासम्भव विशेष न्यायालय में महिला न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण होगा।

विचारण बन्द कमरे में किया जायेगा।

बच्चों को अभियुक्त के भय से दूर रखने के लिए अभियुक्त को कपउे के पर्दे में रखा जायेगा।

बच्चों के माता पिता विचारण व कार्यवाही के समय बच्चे के साथ रह सकते है।

पुलिस से सम्बन्धित महिलाओं के अधिकारः–

किसी भी महिला को गिरफतार करते समय महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है तथा पुलिस को यह भी बताना होगा कि वह महिलाओं को क्यों गिरफतार कर रहे है तथा महिला को गिरफतार करने के उपरान्त महिला बन्दीगृह में ही रखा जा सकता है किसी पुरूष बन्दीगृह में रखना अवैद्य है।

महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना/वकील रखने का अधिकार है।

महिला की तलाशी लेते समय उसकी मर्यादा का घ्यान रखना कानून में बताया गया है,पुरूष पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला की तलाशी नही ली जा सकती है।

महिला को सुर्यास्त के उपरान्त एवं सुर्योदय के पूर्व गिरफतार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी लिखित में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेंगे।

महिला का चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु महिला चिकित्साधिकारी द्वारा ही परीक्षा की जायेगी।

महिला को धारा 437 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अजमानतीय अपराध के दशा में जमानत पर छोडा जा सकता है।

गर्भस्थ महिला को मृत्यु दण्ड नही दिया जा सकता है। जिसका प्रावधान धारा 416 द0प्र0सं0 में दिया गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार यदि किसी महिला को मृत्यु दण्ड दिया गया है,वह गर्भवती पायी जाती है तो उच्च न्यायालय दण्डादेश का आजीवन कारावास में लघुकरण कर सकेगा।

ऐसिड अटैक से पीडित महिला का उपचार करने से सरकारी या प्राईवेट कोई भी चिकित्सालय इन्कार नही कर सकता तथा इस प्रकार का प्राथमिक या चिकित्सकीय उपचार निःशुल्क होगा।

महिला अपने साथ हुए अपराध की सूचना ई–मेल आदि से भी दर्ज करवा सकती है।

नन्दा देवी कन्या योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के माध्यम से निम्न लिखित उद्देश्यों की पूर्ती की जायेगीः–

1–राज्य में लैंगिक असमानता दूर करना।

2–कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।

3–कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन।

4–बाल विवाह पर रोक लगाना।

5–कन्या शिशु को परिवार में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

6–गर्भवती माताओं का आंगनबाडी केन्दों पर शत प्रतिशत पंजीकरण कराना।

7–संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना।

8–जन्म पंजीकरण को बढावा देना।

9–टीकाकरण/प्रतिरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करना।

योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का स्वरूप निम्नवत होगाः–

नन्दा देवी कन्या योजनाः–हमारी कन्या हमारा अभिमान के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2014 के उपरान्त प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाली बी0पी0एल0परिवारों/या ऐसे परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में आय रू036000/प्रति वर्ष या नगरीय क्षेत्र में रू042000/प्रतिवर्ष हो की कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में रूपया 15,000/की धनराशि प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु शर्तेः–

1– यदि बालिका की अपरिहार्य कारणें से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2–जमा धनराशि पर ऋण या अन्य कोई सुविधा नही ली जा सकेगी।

3—यह जमा धनराशि न तो हस्तान्तरित की जा सकेगी और न ही समय से पूर्व इसका भुगतान किया जा सकेगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा क्या है?

महिला के साथ मारपीट करना।

बच्चे ना होने या बेटा ना होने या अन्य किसी कारण से ताने देना, अपमान करना।

गाली गलौज करना, दहेज की मांग करना।

घर से निकाल देना।

खर्च न देना, इलाज न करवाना, वेतन, मजदूरी छीन लेना।

बलात्कार, बिना सहमति के शारीरि सम्बन्ध बनाना।

घर से बाहर आने जाने में रोक टोक करना आदि।

हिंसा होने पर किससे सम्पर्क करें?

अपने नजदीकी थाने के पुलिस अधिकारी से।

सेवा प्रदाता से, महिलाओं के हक के लिए काम करने वाले संस्था से।

नियुक्त संरक्षण अधिकारी से।

जिला मजिस्ट्रेट से।

आपको क्या करना होगा?

पिड़ित महिला खुद एवं उसके रिश्तेदार, महिला संस्था, महिला समूह, संघ, संरक्षण अधिकारी के साथ जाकर जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकती है।

प्रार्थना के आधार पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखी जाएगी। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को मिलने के तीन दिन के भीतर महिला को बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल राहत के लिए अंतरिम आदेश दिये जाएगे।

प्रार्थनापत्र पर फेसला 60 दिन के भीतर किया जाएगा।

मामले की सुनवाई बन्द न्यायालय में की जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम में संरक्षण अधिकारी महिला की मदद करेंगे।

उनचार क्या मिलेगा?

हिंसा पर रोक हेतु शारीरिक सुरक्षा का आदेश।

घर में रहने हेतु निवास आदेश।

बच्चों के लिए अभिरक्षा आदेश।

निःशुल्क चिकित्सा सेवा एवं सुरक्षा आदेश।

संरक्षण आदेश।

भरणपोषण के लिए प्रतिकर आदेश।

अन्य प्रावधान

राष्ट्र□ति प्रणब मुखर्जी ने 29 मार्च को मातृत्व लाभ संशोधन विधेयकए 2016 □र अ□नी मुहर लगा दी है॰ लोकसभा ने इसे इसी महीने □ारित किया था जबकिए राज्यसभा इसे 11 अगस्तए 2016 को □ारित कर चुकी है॰ 1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने के साथ.साथ कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं॰ इसके तहत बच्चे को कानूनन गोद लेने वाली महिलाओं के साथ.साथ सरोगेसी यानी उधार की कोख के जरिये संतान सुख □ाने वाली महिलाओं को भी कानून के दायरे में लाया गया है॰ बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में विधेयक □र चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मां और बच्चों को बेहतर देखभाल की सुविधा मुहैया कराना है॰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व के विकास की दिशा में इस विधेयक को मील का □त्थर बताया है॰

मातृत्व लाभ कानूनए 1961 में संशोधन की जरूरत क्यों □ड़ी६

विश्व स्वास्थ्य संगठन ;डब्ल्यूएचओद्ध के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों का मानना है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को 24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी है॰ डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बच्चों की उत्तरजीविता ;सरवाइवलद्ध दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ स्तन□ान कराना जरुरी होता है॰ संगठन का यह भी मानना है कि □र्याप्त मातृत्व अवकाश और आय की सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं के करिअर □र बुरा असर □ड़ता है॰ इसके अलावा 2015 में विधि आयोग ने मूल कानून में संशोधन करके मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का भी सुझाव दिया था॰ साथ हीए बदलते समय के साथ सरोगेसी के जरिए बच्चे □दा करने और बच्चे गोद लेने के मामलों में बढ़ोतरी

देखने को मिल रही हैए इसलिए ऐसी महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए यह संशोधन किया गया हैण

मातृत्व लाभ संशोधन विधेयकए 2016 में क्या.क्या प्रावधान हैंद

संशोधित विधेयक में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई हैण विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते □हले लिया जा सकता हैण 1961 के मूल कानून में यह अवधि छह हफ्ते की थीण अगर महिला के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगाण इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से छह हफ्ते □हले ही उठाया जा सकता हैण मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थीण

संशोधित विधेयक में कई नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैंण इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया हैए 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगाण साथ ही सरोगेसी के जरिये संतान सुख □ाने वाली महिला को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगाण यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो या सरोगेसी के जरिये संतान □ाने वाली महिला को बच्चा सौं□ा गया होण

संशोधित विधेयक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों से क्रेच की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया हैण साथ हीए उन्हें महिलाओं को दिन में चार बार क्रेच जाने

की सुविधा देने को भी कहा गया है॰ नए विधेयक में काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है॰ इसके अलावा प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ई.मेल ;इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्ध के रू॰ में उ॰लब्ध कराएं॰

कमियां

नए विधेयक में कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए कई प्रावधान शामिल करने और सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने के बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं॰ इसमें सबसे बड़ी आ॰त्ति 1961 के मूल कानून की तरह ही असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं करने को लेकर है॰ ऐसी कामगारों की संख्या कुल महिला कर्मचारियों के करीब 90 फीसदी तक है॰ 2015 में विधि आयोग ने असंगठित क्षेत्र को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया था॰ हालांकिए ऐसी महिलाएं इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत वित्तीय लाभ का दावा कर सकती हैं॰ इस योजना के तहत किसी गर्भवती महिला को दो बच्चों के लिए 6ए000.6ए000 रु॰ये दिए जाते हैं॰ लेकिन जानकारों के मुताबिक यह योजना मातृत्व लाभ कानून का विकल्प॰ नहीं हो सकती क्योंकि यह वेतन के नुकसान या रोजगार सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामाधान नहीं कर ॰ाती॰ इसके अलावा ऐसी महिलाओं को अ॰ने और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अवकाश लेने में मुश्किलें हो सकती हैं॰

संशोधित विधेयक में इस कानून का लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या तय कर दी गई है॰ मूल कानून में यह प्रावधान नहीं था॰ यानी की दो बच्चों के बाद ॰ैदा होने वाले बच्चों के समय ॰ुराने कानून के तहत केवल 12 हफ्ते की छुट्॰ी ही मिल ॰ाएगी॰ कई

जानकार इस □र सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों का क्या होगा जो बच्चों के लिए 24 हफ्ते तक स्तन□ान को बेहद जरुरी मानता है॰ तीसरे या इसके बाद के बच्चे के लिए महिलाओं को इस बुनियादी मातृत्व सुविधा से वंचित करना कहां तक सही होगा॰

1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के अतिरिक्त भी कई ऐसे कानून हैं जिनके तहत महिला कामगारों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं॰ इन कानूनों के प्रावधान अलग. अलग हैं॰ 2002 में दूसरे श्रम आयोग ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मातृत्व लाभ सहित विभिन्न श्रम कानूनों में एकरू□ता लाने का सुझाव दिया था॰ इन कानूनों में कर्मचारी राज्य बीमा कानून ;1948द्धए अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम ;1955द्धए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम ;1972द्धए फैक्ट्री कानून ;1948द्धए श्रमजीवी □त्रकार और विविध प्रावधान नियमए 1957ए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कानून ;1966द्ध और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक□ ;2008द्ध शामिल हैं॰ संशोधित विधेयक में भी सरकार ने श्रम आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की है॰

नए विधेयक में महिलाओं के लिए फायदे के साथ.साथ कई नुकसान भी हैं

कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि प्रस्तावित विधेयक के तहत अवकाश की अवधि बढ़ाने से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है॰ विधेयक में कहा गया है कि अवकाश के दौरान नियोक्ता लाभार्थी महिला को □रा वेतन देगा॰ कोई भी निजी कारोबारी संस्थान फायदा हासिल करने और कर्मचारी को इसके लिए तैयार करने □र □से और समय खर्च करता है॰ जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला कामगारों को 26 हफ्ते की छुट्□ी के साथ वेतन देना उनके लिए दोहरे घा□ का

सौदा साबित हो सकता है और इसलिए संभव है कि वे नौकरी में महिला की जगह ▯रूषों को वरीयता दें॰ साथ हीए इसका असर उन नियोक्ताओं ▯र ▯ड़ना तय है जिनमें महिलाओं कामगारों की बड़ी संख्या है॰

हालांकि कइयों का कहना है कि इस समस्या को हल करने का उ▯ाय भी है॰ उनके मुताबिक सरकार इसके लिए फंड जारी कर सकती है जिसका इ▯्तेमाल महिला कामगारों को वेतन आदि सुविधाएं देने के लिए किया जा सकता हैए जिससे नियोक्ता ▯र अतिरिक्त बोझ न ▯ड़े॰ साथ हीए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ;आईएलओद्ध का मातृत्व सुरक्षा से संबंधित कन्वेंशन ;अभिसमयद्ध भी कहता है कि मातृत्व लाभ के लिए नियोक्ता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता॰ इसमें भी देशों को सुझाव दिया गया है कि अनिवार्य सामाजिक बीमा या सार्वजनिक फंड के जरिए महिलाओं को इसका लाभ दिया जाए॰

विश्व के अलग. अलग देशों में मातृत्व लाभ की क्या स्थिति है॰

दुनिया के कई देशों में मातृत्व लाभ के लिए अलग.अलग फंडिंग मॉडल लागू किए गए हैं॰ 2014 में आईएलओ ने 2014 में 185 देशों में लागू प्रावधानों का अध्ययन किया था॰ इसके मुताबिक 25 फीसदी देशों में मातृत्व लाभ नियोक्ताओं द्वारा चुकाया जाता है॰ इनमें ▯किस्तानए नाइजीरिया और केन्या जैसे देश शामिल हैं॰ इसके अलावा 58 फीसदी देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया और नार्वे शामिल हैंए गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ मुहैया कराते हैं॰ 16 फीसदी देशों में नियोक्ता और सरकार दोनों मिलकर मातृत्व लाभ देते हैं॰ उधरए अमेरिका में महिला कामगारों को 12 हफ्ते की छुट्▯ी देने के अलावा

वित्तीय लाभ का कोई प्रावधान नहीं है॰ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक 52 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाता है॰